न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः इन्दिरा बनेरा,
आर.जे.एस.

1. विवेक कुमार पुत्र श्री इंद्रलाल उम्र 35 वर्ष निवासी मकान नंबर सी/104, 105 वार्ड नंबर 07 इन्दिरा नगर झुन्झुनू पुलिस थाना कोतवाली झुन्झुनू
2. अमित कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश उम्र 34 वर्ष निवासी मकान नंबर 01 क 285 हाउसिंग बोर्ड झुन्झुनू पुलिस थाना कोतवाली झुन्झुनू

... प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी।

..... अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 437 दण्ड प्रक्रिया संहिता, बमुकदमा राजस्थान राज्य बनाम विवेक कुमार आदि, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 521/2020, पुलिस थाना कोतवाली झुन्झुनू, अपराध अन्तर्गत धारा 147, 149, 457, 427,506 भारतीय दंड संहिता

उपस्थितः–

1. श्री दीपेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।
2. श्री रामलाल, विद्वान अभियोजन अधिकारी वास्ते राजस्थान राज्य।

–आदेश– **दिनाँक – 05.10.2021**

1. थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली झुन्झुनू की ओर से अभियुक्तगण विवेक कुमार व अमित कुमार को गिरफ्तार कर मय अनुसंधान पत्रावली के पेश किया जाने एवं रिमांड चाहने पर प्रार्थी/अभियुक्त विरेन्द्र की ओर से जरिये अधिवक्ता यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनाँक 04.12.2020 को परिवादी मूलचंद ने थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, झुन्झुनू के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसका मकान बाकरा रोड़ पर बना हुआ जिसमें दिनाँक 02.12.2020 को रात्रि करीब 11.00 बजे उसके मकान पर विकास सीगड़ व सुनील जाँगिड़ व 5–7 अन्य तीन–चार गाड़ियों में भरकर आये तथा घर में घुस गये। उसके घर में उसके पुत्र संदीप को मारने आये थे जो घर पर नहीं मिला। उसके बाद उक्त लोगों ने उसके घर में घुसकर पड़े सामान को बुरे तरीके से तोड़ दिया तथा मकान में फर्नीचर, किचन में सामान व बाथरूम में वॉशबेसिन, टॉयलेट सीट व अन्य सामान तोड़ दिया तथा उसके लड़के को जान से मारने की धमकी दी। उक्त लोग रात्रि को उसके घर प्लान बनाकर घुसे तथा उसका घर का सारा सामान तोड़ दिया जिससे उसका पाँच–सात लाख का नुकसान हुआ है। इत्यादि रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.–521/2020, अपराध अंतर्गत धारा–143, 427, 458, 506 भारतीय दंड संहिता में पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज की जाकर अनुसंधान आरंभ किया गया एवं दौराने अनुसंधान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जिस पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में प्रेषित किया जाने के आदेश दिये जाने पर उनकी ओर से जरिये अधिवक्ता उक्त जमानत आवेदन प्रस्तुत

किया गया है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि उन्होंनें कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें झूठा फंसाया है। उनसे कोई बरामदगी नहीं हुई है व ना ही शेष है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। उनके विरूद्ध आरोपित अपराध आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है। अंत में प्रार्थीगण को जमानत का लाभ दिया जाकर जमानत पर रिहा किया जाने का निवेदन किया।

4. वहीं विद्वान अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि अभियुक्तगण ने एकराय होकर परिवादी के मकान में रात्रि के समय प्रवेश कर सामान की तोड़–फोड़ कर परिवादी को नुकसान कारित किया है। अभियुक्तगण आदतन अपराधी है जिसके विरूद्ध अन्य न्यायालयों में अन्य प्रकरण विचाराधीन है। अंत में प्रकरण को गंभीर प्रकृति का होना बताते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अनुसंधान पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अनुसंधान पत्रावली के अनुसार अभियुक्त विवेक का आपराधिक रिकॉर्ड शून्य है तथा प्रार्थी अमित कुमार का आपराधिक रिकॉर्ड निम्न प्रकार हैः–

क्रम संख्या	नाम अभियुक्त	प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	मुकदमा नम्बर	अपराध अंतर्गत धारा	वर्तमान स्थिति
1	अमित कुमार	19/2005	11/2005	143, 323 I.P.C.	निर्णित
2		52/2013	30/2013	341, 323 I.P.C.	निर्णित

6. अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन करने एवं उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के उपरांत मेरे विनम्र मत में प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य रहते हुए परिवादी मूलचंद के मकान में रात्रि के समय प्रवेश कर तोड़–फोड़ करने बाबत् धारा 147, 149, 457, 427,506 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप हैं, जो कि गंभीर प्रकृति के हैं। यदि इस प्रकार के प्रकरणों में जमानत का लाभ दिया जाता है तो अपराधियों के हौंसले बुलंद होंगें। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति एवं गंभीरताको दृष्टिगत रखते हुए इस स्टेज पर मैं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं पाती हूँ।

–आदेश–

7. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 1. विवेक कुमार पुत्र श्री इंद्रलाल उम्र 35 वर्ष निवासी मकान नंबर सी/104, 105 वार्ड नंबर 07 इन्दिरा नगर झुन्झुनू पुलिस थाना कोतवाली झुन्झुनू 2. अमित कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश उम्र 34 वर्ष निवासी मकान नंबर 01 क 285 हाउसिंग बोर्ड झुन्झुनू पुलिस थाना कोतवाली झुन्झुनू की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 437 दण्ड प्रक्रिया संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(इन्दिरा बनेरा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झुन्झुनू (राज.)

8. आदेश आज दिनाँक 05.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(इन्दिरा बनेरा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झुन्झुनू (राज.)